

तारीख हुक्म किसा	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग (डीग) पटवारी, पटवार मंडल, <del>कोटा नोम</del> बनाम राजस्थान सरकार संख्या: - 45/25 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज GCMS No- 2025/322 प्रार्थना पत्र: - अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट 1956	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए.
24.11.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पटवारी, पटवार मंडल <u>कोटा नोम</u> द्वारा पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.04.2025 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार (भू.अ.) डीग की रिपोर्ट क्रमांक <u>12/25/2025/3388</u> दि. <u>26.11.25</u> से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पटवारी, पटवार मंडल <u>कोटा नोम</u> के निवेदन पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार <u>डीग</u> की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा पटवारी, पटवार मंडल <u>कोटा नोम</u> ने मौखिक निवेदन किया है कि बाकें ग्राम <u>जायलीकपीम</u> स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या <u>26</u> खसरा नं. <u>696/जि.2/029</u> के काश्तकार <u>रनवीर सिंह</u> पुत्र <u>वलवीर सिंह</u> हिस्सा <u>जाति जाट</u> निवासी <u>जायलीकपीम</u> खातेदार राहिन हिस्सा <u>1/10</u> बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <u>कोरे</u> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <u>कोरे</u> दुरुस्त किया जावे।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार <u>डीग</u> की स्पष्ट अगिशांभा के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।</p> <p><b>आदेश</b></p> <p>अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत 136 एल0आर0एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया बाकें ग्राम <u>जायलीकपीम</u> स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2076-79 के खाता संख्या <u>26</u> खसरा नं. <u>696/जि.2/029</u> के काश्तकार <u>रनवीर सिंह</u> पुत्र <u>वलवीर सिंह</u> हिस्सा <u>1/10</u> जाति <u>जाट</u> निवासी <u>जायलीकपीम</u> खातेदार राहिन हिस्सा <u>1/10</u> बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा <u>कोरे</u> के स्थान पर राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा <u>कोरे</u> दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार <u>डीग</u> को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक <u>24.11.25</u> को न्यायालय हाजा में सुनाया गया।</p>	
	<p>(<u>मकेश चौधरी</u>) उपखण्ड अधिकारी डीग (जिला डीग)</p>	